प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव,
दिल्ली इण्टरनेशनल,
एजूकेशन सोसाइटी, गाजियाबाद।
(संस्था का नाम–स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट ऑफ
फार्मास्युटिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, प्लाट नं0–21,
नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा)

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2021 / 6954 लखनऊःदिनांक– 23/12/2021

विषयः– संस्थान को सहमति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक SIP/21-22/497 दिनांक 16–12–2021 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व से बी0फार्म0 पाठ्यक्रम संचालित संस्था में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। पी0सी0आई0 द्वारा अपने पत्र संदर्भ संख्या 14–56 / 2021–PCI (Approval Process for 2022-23 a.s)/5669-71 दिनांक 09 दिसम्बर 2021 द्वारा पूर्व से फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को निम्नवत् बिन्दुओं के आधार पर सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैः–

2. Thr PCI portal will open between 14.12.2021 to 24.12.2021 for existing institutions appying for-

v) Continuation of approval
vi) Introduction of new course
vii) Raise in admission
viii) Services-details of prescibed documents to be submitted in service portal for following categories of services are enclosed as Annexure-B
g) Change in the name of institution/Trust
h) Change of address/location of institution
i) Change of Examining Authority
j) Change of hospital
k) Closure of course
l) Closure of institution

साथ ही पत्र में उल्लिखित बिन्दु– 4(ii) में D.Pharm पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु निम्नवत् consent/सहमति पत्र संलग्न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं–

E:\DOC 21-22.docx

b) Consent of affiliation of the Examination Authority

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है। इस संबंध में कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0 के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती है।

पी0सी0आई0, नई दिल्ली के उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14–56/2021–PCI (Approval Process for 2022-23 a.s)/5669-71 दिनांक 09 दिसम्बर 2021 के बिन्दु 2(ii) एवं 4(ii) में दिये गये उपरोक्त निर्देशों एवं स्कीनिंग समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुकम में संस्था को सहमति पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022–23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022–23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर मान्य होगा।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/परिषद/2021/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार–कम–सेकेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउसिंल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली– 110 002

/
(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव